

न्याया:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष – वीरेन्द्र सिंह राजपूत

विशेष सत्र प्रकरण क0 83/2012

संस्थापन दिनांक-18-05-2012

म0प्र0 म0क्षे0विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड मालनपुर
द्वारा- कनिष्ठयंत्री हरीश मेहता

परिवादी

बनाम

1. उत्तमसिंह पुत्र अंगद सिंह, उम्र 65 वर्ष।
 2. नबल सिंह पुत्र भगवानसिंह, उम्र 40 वर्ष। समस्त निवासी
ग्राम सिंगवारी, थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0
- अभियुक्तगण

परिवादी द्वारा श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आरोपीगण द्वारा श्री रामबीर सिंह वघेल अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 07.10.2017 को घोषित किया गया)

01. आरोपी उत्तमसिंह के द्वारा उसे प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर विद्युत विल की राशि बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 05.12.2011 को अस्थाई रूप से बिच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 15.12.2011 को आरोपीगण के द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में आरोपीगण पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)ख का आरोप लगाया है।

02. परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी जो कि म0प्र0म0क्षे0 विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मालनपुर में कनिष्ठयंत्री के पद पर पदस्थ था जो कि परिवाद प्रस्तुत करने के

लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता उत्तमसिंह पुत्र अंगदसिंह निवासी ग्राम सिंगवारी मालनपुर को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-10042 डी.एल. घरेलू प्रकाश हेतु दिया गया था। उपभोक्ता के उक्त कनेक्शन पर बिल की बकाया राशि रूपए 75,139/- रूपए होने से और बिल जमा न करने के कारण दिनांक 21.11.2011 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस भेजा गया जिसे आरोपी के भतीजे शिवसिंह पुत्र भगवानसिंह द्वारा प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् कनिष्ठयंत्री द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। तत्पश्चात् उक्त कनेक्शन को दिनांक 05.12.2011 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया और विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश आरोपी को दिया गया। दिनांक 15.12.2011 को कनिष्ठयंत्री हरीश मेहता एवं सहकर्मचारी कुलदीप, लाखन एवं अखिलेश तिवारी के साथ आरोपी के उक्त कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पाया कि आरोपीगण ने उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः अपराधिकृत रूप से एल.टी. लाइन से सीधे 50-50 फिट के तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाये गए। जिस संबंध में मौके पर पंचनामा तैयार किया गया जिस पर साक्षियों एवं आरोपी के भतीजे शिवसिंह के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् कनेक्शनधारी उत्तमसिंह एवं उपयोगकर्ता नबलसिंह के विरुद्ध परिवादपत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138(1)ख के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उनका अभिवाक् अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 एवं अखिलेश तिवारी प0सा0 2 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

01. क्या आरोपी उत्तमसिंह परिवारी कम्पनी का विधिवत वैध कनेक्शनधारी है?
02. क्या आरोपी उत्तमसिंह का विद्युत कनेक्शन बिल की बकाया राशि होने के कारण काट दिया गया था?
03. क्या आरोपीगण ने कटे हुए विद्युत कनेक्शन को पुनः जोड़कर अनाधिकृत रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया?
04. दण्डादेश यदि कोई हो?

//साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05. प्रकरण में परिवारी की ओर से यह आधार लिया गया है एवं इस संबंध में साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 के कथन रहे हैं कि आरोपी उत्तमसिंह को परिवारी कम्पनी द्वारा विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-10042 घरेलू उपयोग के लिए दिया गया था जिस पर रूपए 75,139/- रूपए विद्युत बिल की राशि बकाया हो गई थी। साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि उक्त राशि जमा करने हेतु आरोपी उत्तमसिंह को लाखनसिंह के माध्यम से नोटिस दिया गया था जिसे कि उसके भतीजे शिवसिंह ने प्राप्त किया था, किन्तु राशि जमा न करने पर विद्युत कनेक्शन दिनांक 05.12.2011 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था जिसकी सूचना पुनः आरोपी के भतीजे शिवसिंह को दी गई थी।

06. साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि जब वह दिनांक 15.12.11 को आरोपी के परिसर का निरीक्षण करने गया था तो पाया कि पी.बी.सी. के 50 फिट वायर डालकर कटे हुए कनेक्शन को पुनः चालू कर लिया था। तत्पश्चात् उसने मैके पर पंचनामा बनाया था, इस संबंध में निरीक्षण दल के सदस्य अखिलेश तिवारी प0सा0 2 ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि वह दिनांक 15.11.2012 को उत्तमसिंह के यहाँ हरीश मेहता, लाखनसिंह एवं कुलदीप

श्रीवास्तव के साथ गया था और जहाँ पर प्र.पी. 3 का पंचनामा तैयार किया गया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि ग्राम सिंगवारी में उत्तमसिंह के यहाँ दो तार डायरेक्ट डले थे। इस साक्षी ने अपने कथनों में इन तथ्यों की भी पुष्टि की है कि वह आरोपी के यहाँ नोटिस देने गया था। तत्पश्चात् विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने की सूचना देने भी गया था, किन्तु निरीक्षण पर तार जुड़े हुए पाए थे।

07. प्रकरण में परिवादी की ओर से आरोपी उत्तमसिंह के यहाँ विद्युत कनेक्शन होने संबंधी आधार लिए गए हैं। साक्षी अखिलेश तिवारी प0सा0 2 लाइन हेल्पर है। साक्षी ने आरोपी व आरोपी के आवास की स्पष्ट पहचान की है। साक्षी ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि वह आरोपी के घर विद्युत बकाया जमा करने का नोटिस देने गया था। तत्पश्चात् विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने की सूचना देने गया था। साक्षी ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि प्र0पी0 3 का पंचनामा आरोपी के घर दरवाजे पर बैठकर हरीश मेहता ने बनाया था। साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 भी तत्कालीन समय म0प्र0म0क्षे0वि0वि0क0 लिमिटेड मालनपुर में कनिष्ठयंत्री के पद पर पदस्थ रहा है और इस साक्षी ने भी अपने कथनों में आरोपी एवं आरोपी के आवास की पहचान स्पष्ट की है। मौके पर स्वतंत्र साक्षी न बनाए जाने के संबंध में साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि उसने लोगों से पंचनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा था, किन्तु किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे।

08. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से यह आधार नहीं लिया गया है कि आरोपी उत्तमसिंह विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-10042 धारित नहीं करता था। बचाव पक्ष की ओर से यह आधार भी नहीं लिया गया है कि निरीक्षण के समय आरोपी की ओर से विधिवत राशि जमा करा दी गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण रिकार्ड पर नहीं है और ना ही प्रकरण में परिवादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण दौरान ऐसा कोई तथ्य आया है जिससे इस तथ्य पर अविश्वास किया जा सके कि आरोपी उत्तमसिंह विद्युत कनेक्शन धारित

करता था और उसके विद्युत कनेक्शन की राशि बकाया जमा न करने के आधार पर उसे काट दिया गया था, तत्पश्चात् निरीक्षण के दौरान विद्युत कनेक्शन अवैध रूप से जोड़कर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते पाया गया था।

09. अतः प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय है जिससे यह प्रमाणित होता है कि निरीक्षण दिनांक को आरोपी उत्तमसिंह विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-10042 धारित करता था जिस पर विद्युत बिल की राशि बकाया थी और जिसे सूचना देने के बाद भी जमा न करने पर कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु उसके उपरान्त भी आरोपी के नाम से धारित विद्युत कनेक्शन पर विद्युत ऊर्जा का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था।

10. प्रकरण में नवलसिंह को आरोपी बनाया गया है। प्र.पी. 3 के पंचनामा में नवलसिंह को उपयोगकर्ता लेख किया गया है, किन्तु यदि परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र का अवलोकन किया जाए तो परिवादपत्र में किसी भी स्थान पर आरोपी नवलसिंह को शीर्षक के अलावा उपयोगकर्ता के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है और केवल शिवसिंह को नोटिस देने संबंधी तथ्य लेख है। यदि साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 एवं अखिलेश तिवारी प0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि नहीं की है कि आरोपी नवलसिंह विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-10042 का उपयोगकर्ता था और न ही परिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी नवलसिंह उक्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-1-10042 का उपयोगकर्ता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 एवं अखिलेश तिवारी प0सा0 2 ने अपने कथनों में पंचनामा प्र.पी. 3 बनाते समय शिवसिंह के द्वारा विरोध करने एवं उसके उपस्थित होने तथा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने संबंधी कथन किए हैं, किन्तु आरोपी नवलसिंह के संबंध में कि आरोपी नवलसिंह मौके पर उपस्थित था अथवा वह उपयोगकर्ता था संबंधी कोई कथन नहीं किए हैं। अतः प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य में आरोपी नवलसिंह के संबंध में अपराध किए जाने संबंधी कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है।

11. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में परिवादी प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी उत्तमसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, किन्तु आरोपी नवलसिंह के संबंध में आरोप प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।
12. परिणामतः आरोपी उत्तमसिंह को भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138 (1)ख के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया जाता है, जबकि आरोपी नवलसिंह को भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)ख के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
13. आरोपी उत्तमसिंह के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्चयः—

14. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी उत्तमसिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री रामबीर सिंह वघेल को सुना गया, उनका कहना है कि आरोपी गरीब परिवार होकर 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, उसे कम से कम दण्ड से दंडित किया जावे। जबकि परिवादी के अधिवक्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित अपराध को देखते हुए उसे कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।
15. प्रकरण की परिस्थिति, प्रावधानित दण्ड को देखते हुए आरोपी उत्तमसिंह को भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)ख के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 10,000/—(दस हजार रुपए) रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में 01 माह का अतिरिक्त साधारण भुगताए जावे।

16. अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि प्रतिकर स्वरूप परिवादी कम्पनी को दिलाई जावे।
17. आरोपी उत्तमसिंह जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा शेष आरोपी नवलसिंह के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।
18. आरोपीगण के निरोध में रहने के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
19. प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0